

न्यायालय अपर कलक्टर, बाड़मेर

पीठासीन अधिकारी – श्री ओ.पी.बिश्नोई आर.ए.एस.

राजस्व अपील संख्या 11/2014

अपीलांत

रेशमी देवी उर्फ हिरा देवी पुत्री स्व.
श्री तुलछाराम पत्नी बींजराज जाति
गौड निवासी ढंड स्कूल के पास,
झालामण्ड चौराहा जोधपुर, पीहर
का पता गांव बाटाडू तहसील बायतु

बनाम

रेस्पोंडेंटस

1. हनुमानराम पुत्र स्व. तुलछाराम
2. रामलाल पुत्र स्व. तुलछाराम
3. मेघाराम पुत्र स्व. तुलछाराम
4. देवीलाल पुत्र स्व. तुलछाराम
5. ओमप्रकाश पुत्र स्व. तुलछाराम
6. चम्पालाल पुत्र स्व. तुलछाराम
निवासी बाटाडू तहसील बायतु
7. तहसीलदार बायतु


राजस्व अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम विरुद्ध आदेश दिनांक 25.8.1998 जो तहसीलदार बायतु द्वारा मौजा बाटाडू के नामान्तरकरण संख्या 3 पर पारित किया गया।

- उपस्थित—
1. श्री जसवन्त बोहरा अधिवक्ता अपीलांत की ओर से।
 2. श्री सोहनलाल दवे राजकीय अभिभाषक रेस्पोंडेंट संख्या 7 की ओर से।
 3. रेस्पोंडेंट संख्या 1 से 6 अनुपस्थित।

निर्णय

दिनांक 27.5.2016

1. अपीलांत ने यह अपील मौजा नया बाटाडू के नामान्तरकरण संख्या 03 पर तहसीलदार बायतु द्वारा पारित आदेश दिनांक 25.8.1998 के विरुद्ध धारा 75 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम के तहत हमारे समक्ष पेश की है।
2. संक्षेप में अपीलांतस की अपील के तथ्य इस प्रकार हैं कि अपीलान्त व रेस्पोंडेंटस संख्या 01 से 06 तक श्रीमती माडूदेवी पत्नी स्व. श्री तुलछाराम की सन्तान है। श्रीमती माडूदेवी की संयुक्त खातेदारी की कब्जा काश्त कृषि भूमि खसरा नंबर 613/1 रकबा 12 बीघा, खसरा नंबर 613/3 रकबा 118 बीघा 16 विस्वा, खसरा नंबर 615/1 रकबा 51 बीघा, खसरा नंबर


अपर कलक्टर बाड़मेर
(ए.डी.एम.)



615/3 रकबा 5 बीघा 16 विस्वा, खसरा नंबर 522 रकबा 85 बीघा 6 बिस्वा एवं खसरा नंबर 523 रकबा 77 बीघा 4 विस्वा कुल रकबा 450 बीघा 2 बिस्वा ग्राम नया बाटाडू में आई हुई है। जिसमें से अपीलान्ट की माता माडूदेवी पत्नी स्व. तुलछाराम का 1/4 हिस्सा है। अपीलांट की माता माडूदेवी का दिनांक 13.4.1995 को देहान्त होने पर पटवारी हल्का द्वारा वादग्रस्त भूमि जिसमें स्व. माडूदेवी के हिस्से की भूमि शामिल है, का नामान्तरकरण संख्या 03 भकर तहसीलदार बायतु के समक्ष किया गया। तहसीलदार बायतु ने नामान्तरकरण संख्या 03 दिनांक 25.8.98 को स्वीकृत किया। इस आदेश से शुद्ध होकर अपीलांट ने यह अपील धारा 75 राज. भू राजस्व अधिनियम के तहत हमारे समक्ष पेश की है। अपीलांट ने अपीलाधीश आदेश का पूर्व में ज्ञान नहीं होने से जानकारी की तिथि से अपील को अंदर म्याद सुमार करने का निवेदन किया। अपीलांटस ने अपील के साथ धारा 5 परिसीमा अधिनियम का प्रार्थना पत्र एवं शपथ पत्र भी पेश किया।

3. हमने अपील अपीलांट दर्ज रजिस्टर कर, रेस्पोंडेंटस को सम्मन जारी किये। अपीलाधीन रेकॉर्ड तलब किया। पत्रावली पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार राजस्व कोर्ट केम्प बायतु में पेश हुई। जिसके लिए पक्षकारान एवं अभिभाषक को नोटिस की तामीली करा दी गई है। अपीलांट उपस्थित हुए। रेस्पोंडेंटस संख्या 01 से 06 अनुपस्थित रहे। रेस्पोंडेंटस संख्या 07 की ओर से श्री संदीप अरोड़ा तहसीलदार बायतु उपस्थित रहे।
4. हमने दोनों पक्षों को सुना। अपीलाधीन रिकार्ड एवं पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया। अपीलांट ने यह अपील तहसीलदार बायतु द्वारा मौजा नया बाटाडू के नामान्तरकरण संख्या 03 पर पारित आदेश दिनांक 25.8.1998 के विरुद्ध पेश की है। पत्रावली के अवलोकन से यह पाया जाता है कि मौजा नया बाटाडू के खसरा नंबर 613/1 रकबा 12 बीघा, खसरा नंबर 613/3 रकबा 118 बीघा 16 विस्वा, खसरा नंबर 615/1 रकबा 51 बीघा, खसरा नंबर 615/3 रकबा 5 बीघा 16 विस्वा, खसरा नंबर 522 रकबा 85 बीघा 6 बिस्वा एवं खसरा नंबर 523 रकबा 77 बीघा 4 विस्वा कुल रकबा 450 बीघा 2 बिस्वा स्व. माडूदेवी की संयुक्त खातेदारी भूमि है। अपीलांट स्व. माडूदेवी की पुत्री है एवं माडूदेवी की भूमि में अपीलांट का हिस्सा बनता है। अधीनस्थ न्यायालय ने इस पर गौर नहीं कर, अपीलांट का नाम दर्ज नहीं किया। अतः तहसीलदार बायतु द्वारा पारित नामान्तरकरण संख्या 02 को न्यायोचित नहीं ठहराया जा सकता। लिहाजा अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश त्रुटिपूर्ण होने एवं विधिनुकूल नहीं होने से निरस्त योग्य है।





W —
अपर कलक्टर बाटाडू
(ए.डी.एम.)

5. अपीलांट नें अपील के साथ देरी से प्रस्तुत करने बाबत धारा 5 परिसीमा अधिनियम के तहत प्रार्थना पत्र एवं शपथ पत्र पेश किया है, जो अपील के तथ्यों को देखते हुए स्वीकार किया जाकर अपील अंदर म्याद सुमार की जाती है।
6. उपरोक्त विवेचन के फलस्वरूप अपीलांट की अपील स्वीकार की जाकर तहसीलदार बायतु का अपीलाधीन आदेश दिनांक 25.08.1998 अपास्त किया जाता है और प्रकरण तहसीलदार बायतु को इस निर्देश के साथ प्रति-प्रेषित किया जाता है कि मृतक स्व. माडूदेवी के विधिक उत्तराधिकारियों की जांच कर रिकॉर्ड पर साक्ष्य सबूत लेकर मामले में नये सिरे से नामान्तरकरण पारित करने की नियमानुसार कार्यवाही करें।



आदेश खुले न्यायालय कोर्ट केम्प बायतु में आज दिनांक 27.5.2016 को सुनाया गया।


(ओ.पी.बिश्नोई)
अपर कलक्टर, बाड़मेर
अपर कलक्टर बाड़मेर
(ए.डी.एम.)


अपर कलक्टर, बाड़मेर
अपर कलक्टर बाड़मेर
(ए.डी.एम.)